

86

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
बमुकद में ईबतदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहाय क कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया



पीठासीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 293/2025

वाद पत्र अं. धारा 53 आर.टी.ए.

1. गुरदयालराम पुत्र सोहन लाल जाति भाट साकिन खेरुवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

वादी

बनाम्

- कलावती पत्नी दौलतराम जाति भाट साकिन खेरुवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- गुड्डी पत्नी शम्भूराम जाति भाट साकिन खेरुवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- छिन्द्रपाल पुत्र दौलतराम जाति भाट साकिन खेरुवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- बलराम पुत्र दौलतराम जाति भाट साकिन खेरुवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- मदनलाल पुत्र काशीराम जाति भाट साकिन खेरुवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- रामप्रताप पुत्र शम्भूराम जाति भाट साकिन खेरुवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- सरोज पुत्री दौलतराम जाति भाट साकिन खेरुवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- पंजाब नेशनल बैंक शाखा खेरुवाला जरिये मैनेजर।
- तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक :- 3.2.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई
रुबरु हमारे बहाजरी श्री ओमप्रकाश शर्मा वकील वादीगण मिन जाकिन मुदई श्रीवकील प्रतिवादी.....
मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है एव तहसीलदार भू.अ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव
मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:- चक 26 एएमपी

1. गुरदयालराम पुत्र सोहन लाल जाति भाट सा.खेरुवाला की कब्जा काश्त भूमि :-

प.न.	मु.न.	किला नं.
104/162	37	1/1/0.228, 1/2/0.025, 8/0.253, 9/0.253
103/162	38	05/0.253

2. प्रति.स. 1 कलावन्ती पत्नि दौलतराम 0.190 है. प्रतिवादी संख्या 2 गुड्डी देवी पत्नि शम्भूराम 0.126 है.
प्रतिवादी संख्या 3 छिन्द्रपाल पुत्र दौलतराम 0.190 प्रति.स. 4 बलराम पुत्र दौलतराम 0.190 है. प्रति.संख्या 5
मदनलाल पुत्र काशीराम 0.759 है. प्रतिवादी संख्या 6 रामप्रताप पुत्र शम्भूराम 0.633 है. प्रतिवादी संख्या 7
सरोज पुत्र दौलतराम 0.189 है. जाति भाट सा.खेरुवाला की कब्जा काश्त भूमि :-

प.न.	मु.न.	किला नं.
103/162	38	4/0.253 है. 6/0.253 है. 7/0.253 है. 14/0.253 है. 15/0.253 है.
104/162	37	10,11,12,13/1.012 है.

अतः उक्त वाद अपवादित खाता से संबंधित है पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है
फिर भी यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो उसका वाद पुनः संस्थित
करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है
तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश
दिये जाते हैं। तहसीलदार भू.अ.संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भू.अ./2024/5269 दिनांक 30.12.2025 द्वारा
प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

नोट :- यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य
पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज.....मुब्लिक.....बाबत.....खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की
तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.....को अदा करे।

बसबत मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....3.2.2024.....को खुले न्यायालय में जारी
किया गया।

(जय कौशिक)

महायुक्त कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया